न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 21/23 GCMS NO 2023/59

मूर्ति श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान धुन्धेश्वर ग्राम चूली जरिये संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राहम्ण निवासी धून्धेश्वर चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. जगन पुत्र सुगन
2. मोहन पुत्र सुगन
3. धर्मसिह पुत्र केसरिया
4. मुकेश पुत्र केसरिया
5. दिनेश पुत्र केसरिया
6. महेश पुत्र केसरिया
7. कैलाशी बेवा केसरिया
8. रूपवन्ती पुत्री केसरिया
9. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 58/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री परमानन्द शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम खान

दिनांक 15.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बंदोबस्त सम्वत 2008 लगायत 2011 ख0न0 758 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है। जिसके एकीकरण मे ख0न0 417 रकबा 3 बीघा 13 विस्सा कायम किये है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता सुगन पुत्र मूलचंद व अन्य प्रार्थीगण के बाबा सुगन पुत्र मूलचंद उक्त भूमि के उपकृषक दर्ज थे। सम्वत 2012 मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा मंदिर के भोग विलास एवं अन्य खर्चो के लिए एन्यूटी जारी कर दी एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत सुगन पुत्र मूलचंद को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया गया। सम्वत 2008 से ही सुगन पुत्र मूलचंद उक्त भूमि के खातेदारी टीनेन्ट रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जा चला आ रहा है। एकीकरण सम्वत 2018 मे भी उक्त भूमि ख0न0 417 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी सुगन पुत्र मूलचंद के नाम दर्ज थी। साबिक ख0न0 417 के वर्तमान सेटलमेंट ने नये नम्बर 918 रकबा 0.94 है0 कायम कर दिये। जिस पर कब्जा साबिक की भांति प्रार्थीगण का चला आ रहा है। वर्तमान सेटलमेट ने बिना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 918 को मंदिर श्री गोविन्ददेवजी चूली के नाम दर्ज कर दिया। जबकि उक्त भूमि खालसा होने के बाद तथा उपकृषक को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खातेदारी पृथक करने के बाद उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। लेकिन सेटलमेट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। सेटलमेंट विभाग की उक्त गलती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 5.5.19 को भूमि से बेदखल करने की धमकी अप्रार्थीगण द्वारा दी गई है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज हो चुकी है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करेगे। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को पूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि भूमि हाल ख0न0 918 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम खानपुर बडौदा मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर विधि के विरूद्व पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति शाश्वत नाबालिंग की विधिक स्थिति तथा उसके संदर्भ मे प्रचलित सुस्थापित विधि तथा न्यायिक दृष्टांतो की हिंसा कर आदेश पारित किया है। मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी सम्पति या कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का स्वामित्व या खातेदारी अधिकार किसी भी रूप म उत्पन्न नही हो सकते है। चूकिः मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसकी सम्पति या कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की होती है। वादीग्रस्त कृषि भूमि से अपीलार्थी मूर्ति के भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था जमाने बुर्जगान से वाद मित्रो द्वारा ही की जाती रही है। परन्तु सेवाधारी द्वारा मूर्ति की भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी मूर्ति उक्त भूमि के लाभ से बंचित हो गई है। मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने के कारण उसके हितो का दायित्व विधि अनुसार न्यायालय पर है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति को अनदेखा कर अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कायम रिसीवरी अपने आक्षेपित आदेश से निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 का पुराना कब्जा दर्शाते हुए कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे कब्जे से बेदखल नही किये जाने का अपने आदेश मे अंकन किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति की विवेचना करते समय मूर्ति शाश्वत नाबालिंग के संबंध मे प्रचलित सुस्थापित विधि एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो की अवहेलना की है। जिससे यह बाबत भली भांति प्रमाणित है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है जिसकी कृषि भूमि के संबंध मे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है ना ही मूर्ति की इच्छा के विरूद्व कोई व्यक्ति कृषि भूमि को कब्जे मे रख सकता है। मूर्ति के हितो की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय पर है। जिसका अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट उल्लेख किया गया था साथ ही रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने, अवेध रूप से भूखण्डो की शक्ल मे विक्रय करने के दस्तावेज पेश किये गये थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की हिंसा कर आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और प्रस्तुत मूर्ति के हितार्थ रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व दस्तावेजो अंथवा विधिक स्थिति की कोई विवेचना नही की गई है। केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांता चस्पा नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा किया है कि उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न गंभीर प्रश्नो का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित होगा। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्वजो के समय से रेस्पो0 के कब्जे की भूमि मानकर उक्त विधिक स्थिति की सरेआम हिंसा की है। जबकि उक्त तथ्य उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णित किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 918 रकबा 0.94 है0 अपीलार्थी मूर्ति शाश्वत नाबालिंग के हितार्थ रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जे राज में लेकर रिसीवर से वादग्रस्त भूमि की काश्त व्यवस्था करवाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बंदोवस्त सम्वत 2008 से 2011 ख0न0 758 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित रही है। जिस पर उपकृषक के रूप मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पिता सुगन पुत्र मूलचंद का कब्जा काश्त दर्ज था। एकीकरण सम्वत 2018 मे उक्त भूमि के ख0न0 417 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा तथा वर्तमान भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 918 रकबा 0.94 है0 कायम किये। जागीर पुर्नग्रहण के समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिया गया तथा जागीर पुर्नग्रहरण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचुंद के नाम दर्ज कर दी गई । खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा काश्त सुगन पुत्र मूलचंद का उनके मरने के बाद रेस्पो/प्रार्थीगण का दर्ज रहा है। सेटलमेंट के दौरान यह भूमि गलत रूप से मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि पहले मंदिर के नाम थी लेकिन 1952 मे [illegible] दर्ज कर दी गई व मंदिर के हक मे एन्यूटी जारी कर दी। चूकि 1952 मे [illegible] के उपकृषक थे इसलिए उन्हे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के [illegible] सही रूप से खातेदारी दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

लेकिन सेटलमेट विभाग ने गलती से भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी जबकि भूमि पर कब्जा वर्तमान मे प्रार्थीगण का चला आ रहा है। अपीलांट/अप्रार्थीगण पुजारी नियत खराब होने से वह रिसीवरी की आड मे रूपया ऐठना चाहता था। राज्य सरकार एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न आदेशो मे यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय भूमि पर खातेदार,पटटेदार,खादिमदार पटटेदार एवं उपकृषक के रूप मे पुजारी के अलावा किसी तृतीय पक्ष का कब्जा है तथा उक्त भूमि खातेदार,पटटेदार, खादिमदार , उपकृषक के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई हो तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। यह भूमि सम्वत 2012 मे उपकृषक के रूप मे रेस्पो/प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचंद के नाम दर्ज थी इसलिए सही रूप से खातेदारी दी गई थी। सेटलमेट विभाग ने बिना किसी आदेश के भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने निर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के बाद भूमि मंदिर की खुदकाश्त के रूप मे दर्ज है तथा उसकी खातेदारी पुजारी के नाम हो जाती है तो पुजारी के नाम से निरस्त कर पुनःमंदिर के नाम दर्ज किया जाना चाहिए क्योकि यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी लेकिन जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय या बाद मे भूमि पर तृतीय पक्ष खातेदार,पटटेदार,खादिमदार या उपकृषक के रूप मे दर्ज है तो खातेदारी उसी व्यक्ति के पक्ष मे दर्ज कर दी गई है तो उक्त भूमि को वापस मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता है। यदि सेटलमेट विभाग द्वारा ऐसी भूमि को दौराने सेटलमेट मंदिर के नाम दर्ज कर दी जाती है तो राजस्व अधिकारियो की जानकारी मे आते ही राज्य सरकार द्वारा दुरूस्ती की कार्यवाही कर खातेदारी उक्त व्यक्ति के नाम दर्ज कर देनी चाहिए। विवादित आराराजीयात रेस्पो/प्रार्थीगण के पिता सुगन पुत्र मूलचंद को उनके कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई है। सेटलमेट विभाग की गलती से भूमि गलत रूप से मंदिर के नाम लगा दी गई। भूमि पहले मंदिर के नाम दर्ज थी लेकिन 1952 मे खालसा दर्ज कर दी गई व मंदिर के हक मे ऐन्यूटी जारी कर दी गई। इस प्रकार मंदिर की सेवा पुजा का खर्चा ऐन्यूटी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार भूमि खालसा होने के पश्चात जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से प्रार्थीगण/रेस्पो० को उपकृषक होने के नाते खातेदारी प्रदान की गई। विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो० का है। सेटलमेट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का प्रार्थीगण/रेस्पो० अधिकारी है। सेटलमेंट की गलती की आड मे अपीलांट/अप्रार्थीगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण/रेस्पो० के पक्ष मे साबित होने एवं कब्जा भी रेस्पो/प्रार्थीगण का होने के कारण ही प्रार्थीगण/रेस्पो० का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया [illegible] अधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत [illegible] अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

थी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिये जाने पर जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान दे दिये गये। विचाराधीन प्रकरण अरथाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का सुतलन एवं अपूंर्णनीय क्षति को देखा जाना है। चूकिः विवादित आराजीयात सेटलमेट से पूर्व प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज रही है तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का होना सिद्व होता है। इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के मद्वेनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 58/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 की पुष्टि की जांती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोट)
राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner